

केंद्रीकृत परसिंपत्तपरिसिमापन नीलामी मंच

स्रोत: बीएस

भारतीय दवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) और **भारतीय बैंक संघ (IBA)** दवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परसिंपत्तियों की नीलामी हेतु एक केंद्रीकृत मंच तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

- परसिंपत्तियों की नीलामी eBKray प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, जो पछिले पाँच वर्षों से **SARFAESI अधिनियम, 2002** के अंतर्गत बंधक परसिंपत्तियों की नीलामी का संचालन कर रहा है।
 - eBKray प्लेटफॉर्म का प्रबंधन **PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा किया जाता है, जो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ है।
- यह प्लेटफॉर्म परसिमापन मामलों में सभी परसिंपत्तियों के लिये एकल सूचीकरण बद्धि के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिये परसिमापकों से वसितृत परसिंपत्त जानकारी की आवश्यकता होगी।
- **IBBI एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना IBC 2016** के तहत भारत में दवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं की देखरेख तथा वनियमन के लिये की गई है।
- **IBA** भारत में बैंकिंग क्षेत्र का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी।
- **IBC** भारत में वर्ष 2016 में लागू किया गया एक वधायी ढाँचा है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों तथा कंपनियों के लिये दवाला और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

और पढ़ें: [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता के सात वर्ष](#)